न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार मीना, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 188/2021

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

बलजिन्द्र सिंह पुत्र स्व० जंग सिंह जाति रामगढिया निवासी 11 एम एल तह0 व जिला श्री गंगानगर।

—— वादी

बनाम

1. बलदेव सिंह पुत्र स्व0 जंग सिंह जाति रामगढिया निवासी 11 एम एल तह0 व जिला श्रीगंगानगर ।
2. किरणपाल कौर पुत्री स्व0 जंग सिंह पत्नी बलजीत सिंह जाति रामगढिया निवासी सुन्दरपुरा तह0 सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।
3. जसपाल कौर पुत्री स्व0 जंग सिंह पत्नी जीत सिंह जाति रामगढिया निवासी 4 एल एल ढींगावाली जाटान तह0 व जिला श्री गंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्री गंगानगर।

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित–	अधिवक्ता श्री बलराम सुथार	(वादी)
	अधिवक्ता श्री गुलशन कामरा	(प्रतिवादी–1 ता 3)
	पैरोकार राज	(प्रति.–4)

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 05.08.2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 की माता स्व0 जसविन्द्र कौर उर्फ छिन्द्र कौर पत्नी जग सिंह उर्फ जंग सिंह जिसका देहांत दिनांक 21.12.18 को हुआ के नाम से चक 24 एम एल तह0 पटवार हल्का लठावाली तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 28/28 मु0 न0 66 के किला न0 18 ता 25 की 2.024 हे0 खातेदारी दर्ज है जमाबंदी की नकल शामिल है, मृत्यु प्रमाण पत्र की नकल शामिल है। वादी के आधार कार्ड की नकल भी शामिल है। स्व0 छिन्द्र कौर उर्फ जसविन्द्र कौर पत्नी जंग सिंह उर्फ जग सिंह की माता का नाम हरमेल कौर था तथा उसकी उपरोक्त भूमि के उसकी मृत्यु के उपरांत वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के हकदार हुए। प्रतिवादी सं0 2,3 ने माता की मृत्यु के उपरांत क्योकि उनके विवाह इसी भूमि [illegible] से किये गये थे अतः स्त्रीधन के रूप मे हक हिस्सा मिल गया होने से पारिवारिक [illegible] अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के हक मे रूबरू [illegible] इस प्रकार उपरोक्त भूमि मे वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा [illegible] है तथा कब्जा भी [illegible] पास चला आ रहा है, प्रतिवादीगण 2,3 के पास किसी भूमि का कब्जा नही है, वादी की माता जसविन्द्र कौर था व पिता का नाम जंग सिंह था, घर पर उनको छिन्द्र कौर व जग सिंह के नाम से भी पुकारा जाता था, इसी कारण जमाबंदी मे वादी की माता का नाम छिन्द्र कौर पत्नी जग सिंह दर्ज किया हुआ है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 अपने हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहते है मगर राजस्व रिकार्ड मे भूमि माता के नाम दर्ज होने से वादी व प्रतिवादी सं0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:25:08 IST
Reason: SelfAttested

सुधार कार्य करवाने में असमर्थ है व उचित लाभ उठाने से वंचित हो रहे है, अतः वादी के लिए अपने अधिकारो की घोषणा करवाना व अपने हिस्सा की भूमि अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। वादी ने प्रतिवादीगण से बार बार आग्रह किया कि वह माता के नाम दर्ज उपरोक्त भूमि मे वादी को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हकदार मानकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाये मगर प्रतिवादी सं0 2,3 के मन मे गलत लालच आ जाने से तथा अन्य किसी को मुंतकिल करने की कोशिश मे होने से टालमटोल करते हुए दिनांक 26.09.21 को साफ इंकारी है जो कि यही बिनाए मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त कृषि भूमि श्रीमान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मे स्थित है अतः वाद वादी काबिल समाअत अदालतवाला है तथा तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के उचित न्यायशुल्क पर पेश किया जा रहा है। लिहाजा वाद वादी पेश करके अर्ज है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

(क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि चक 24 एम एल पटवार हल्का लठावाली तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 28/28 मु० न0 66 के किला न0 18 ता 25 की 2.024 हे0 मे वादी वाद पत्र मे अंकित कारणो से 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हकदार है तथा राजस्व रिकार्ड मे उसके नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादी सं0 2,3 इस अमर की सादिर की जावे कि चक 24 एम एल पटवार हल्का लठावाली तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 28/28 मु0 न0 66 के किला न0 18 ता 25 की 2.024 हे0 के 1/2 हिस्सा के वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में बाधा पैदा करने जबरन बेदखल करने/करवाने से बाज व ममनु रहे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा इकबालिया जवाबदावा मय काउंटरक्लेम पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद पत्र की चरण सं0 4 स्वीकार है। प्रतिवादी सं0 2, 3 के विवाह इसी कृषि भूमि की आय से होने से उनके द्वारा अपनी स्वेच्छा से अपना अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के हक मे पारिवारिक समझौता द्वारा पंचायत के सामने ही छोड़ दिया था तथा कब्जा भी वादी व प्रतिवादी सं0 1 का चला आ रहा है। प्रतिवादी सं0 1 आराजी जेर बहस में से 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित करवाने व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है जिसके लिए काउंटरक्लेम पेश किया जा रहा है। चक 24 एम एल पटवार हल्का लठावाली तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 28/28, मु0 न0 66 के किला न0 18 ता 25 की 2.024 हे0 के वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 कानूनी हकदार बने मगर प्रतिवादी सं0 2,3 ने उनके विवाह इसी भूमि की आय से होने व स्त्रीधन के रूप में हक हिस्सा प्राप्त हो जाने से अपनी स्वेच्छा से अपना अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के हक मे पारिवारिक समझौता से छोड़ दिया अतः प्रतिवादी सं0 1 उपरोक्त भूमि मे से 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है, अतः दावा वादी डिक्री करते समय उपरोक्त भूमि के 1/2 हिस्सा का मन प्रतिवादी सं0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करना आवश्यक है। काउंटर उचित न्यायशुल्क पर पेश है तथा काबिल समाअत अदालतवाला है। लिहाजा काउंटर कलेम प्रतिवादी सं0 1 की तरफ से पेश कर निवेदन है कि आराजी जेर बहस मे से उसको 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में उसके नाम दर्ज किया जावे। जो कि पंचायत ने हम फरीकेन का आपस मे राजीनामा करवाया है, कृषि भूमि चक 24 एम एल पटवार हल्का लठावाली तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 28/28 मु0 न0 66 के किला न0 18 ता 25 की 2.024 हे0 मे से प्रतिवादी किरणपाल कौर व जसपाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 15:25:08 IST
Reason: SelfAttested

कौर ने उनके विवाह पर इसी भूमि की आय से खर्चा करने के कारण व मिले स्त्रीधन से हकरसी हो जाने से पारिवारिक समझौता के द्वारा अपना हक हिस्सा वादी बलजिन्द्र सिह व प्रतिवादी सं0 1 बलदेव सिह जिसने काउंटर कलेम भी पेश किया है हक हिस्सा भी छोड़ दिया है, अतः इस भमि मे से 1/2 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी बलदेव सिह को खातेदार काश्तकार हकदार घोषित किया जावे तो हम प्रतिवादीगण किरणपाल कौर व जसपाल कौर को कोई आपति नही है, कब्जा भी वादी बलजिन्द्र सिह का उपरोक्त भूमि के 1/2 हिस्सा पर चला आ रहा है व शेष 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी बलदेव सिह का चला आ रहा है। लिहाजा यह राजीनामा पेश है कि इस अनुसार दावा डिक्री करते हुए प्रतिवादी सं0 1 का काउंटर कलेम भी डिक्री किया जावे, खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार पंचायत ने हम फरीकेन का आपस मे राजीनामा करवाया है, कृषि भूमि चक 24 एम एल पटवार हल्का लठावाली तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 28/28 मु0 न0 66 के किला न0 18 ता 25 की 2.024 हे0 मे से प्रतिवादी किरणपाल कौर व जसपाल कौर ने उनके विवाह पर इसी भूमि की आय से खर्चा करने के कारण व मिले – स्त्रीधन से हकरसी हो जाने से पारिवारिक समझौता के द्वारा अपना हक हिस्सा वादी बलजिन्द्र सिह व प्रतिवादी सं0 1 बलदेव सिह जिसने काउटर कलेम भी पेश किया है हक हिस्सा भी छोड़ दिया है, अतः इस भूमि मे से 1/2 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी बलदेव सिह को खातेदार काश्तकार हकदार घोषित किया जावे तो हम प्रतिवादीगण किरणपाल कौर व जसपाल कौर को कोई आपति नही है, कब्जा भी वादी बलजिन्द्र सिह का उपरोक्त भूमि के 1/2 हिस्सा पर चला आ रहा है व शेष 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी बलदेव सिह का चला आ रहा है। लिहाजा यह राजीनामा पेश है कि इस अनुसार दावा डिक्री करते हुए प्रतिवादी सं0 1 का काउंटर कलेम भी डिक्री किया जावे, खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 24 एमएल, पटवार हल्का लटठावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 28/28 पेश की गई। वादी द्वारा छिन्द्र कौर उर्फ जसविन्द्र कौर पत्नी जंगसिंह का कार्यालय ग्राम पंचायत 9 एमएल लट्ठावाली पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश–12 नियम–6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझोता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प–5(1)राज/6/97/10 दिनांक 8–9–97 के अनुसार सहकृषकों में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि में जन्म से ही अधिकार है। इसलिए पुत्र अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन [illegible] है। ए0आई0आर0 1976 एस सी–807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम या ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने परिवारिक समझौते को अधिक महत्वता दी गई है। पारिवारिक समझोता धोखा–धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझोता को मान्यता दी जा सकती है जिससे विवाद कम हो, पारिवारिक समझोता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो। मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–222 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र–पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दु परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:25:08 IST
Reason: SelfAttested

जेसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवं बंटवारा करवा सकता है। आरआरडी 1981 के पेज 512 एवं 1978 आरआरडी पेज 375 (एच0सी0) में उपरोक्त की पुष्टि की गई है।

—:: आदेश ::—

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 Division of holding in a suit decreed on the basis of agreement *If during pendency of a suit for division of holding the co-tenant in the suit के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के काउंटरक्लेम एवम् राजीनामा को स्वीकार किया जाता है और राजीनामा के आधार पर वाद निम्नप्रकार से डिक्री किया जाता है :—

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को चक 24 एम एल पटवार हल्का लठावाली तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं0 28/28 मु० न0 66 के किला न0 18 ता 25 की 2.024 हैक्टर कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर (½—½हिस्सा) का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 05.08.2022 को जारी किया गया।

(मनोज कुमार मीना) (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:25:08 IST
Reason: SelfAttested